वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

ए 2 के+ अध्ययन के तहत निधियन सहायता के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. ए 2 के + अध्ययन कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग, उद्योग संघों, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, सलाहकारों, उद्यमियों, शोध छात्रों और इन क्षेत्रों में नीति निर्माताओं को आगे के काम करने के लिए उपयोगी जानकारी और ज्ञान का आधार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में अध्ययन का सहयोग करना है; उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विकास का अध्ययन और विश्लेषण करना और व्यापक प्रसार के लिए निष्कर्षों, प्रवृत्तियों और परिणामों का दस्तावेजीकरण करना; और सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों से प्रौद्योगिकियों की स्थिति संबन्धित रिपोर्ट तैयार करना जो संस्थानों से बाजार में अनुसंधान आउटपुट के अनुवाद को उत्प्रेरित करने की दृष्टि से व्यावसायीकरण के लिए तैयार हैं।

2. विभाग नियमित रूप से अध्ययन के लिए विषय क्षेत्रों का विज्ञापन करता है अतः प्रस्ताव को विज्ञापित विषय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अध्ययन के चिन्हित किये गए दायरे को संबोधित करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि अध्ययन के लिए विषय क्षेत्र स्पष्ट रूप से आवेदन में लिखा गया है। एजेंसियों/संगठनों को संस्थान के प्रमुख के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा करना होगा।

3. प्रस्ताव के अध्ययन की अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

4.सहायता के लिए विचार की जाने वाली एजेंसियों के प्रकार:
(i) क्षेत्रीय उद्योग संघों, निर्यात संवर्धन परिषदों और वाणिज्य और उद्योग मंडलों सहित उद्योग संघ;
(ii) तकनीकी परामर्श संगठनों (राज्य सरकार, वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा स्थापित) सहित केंद्र और राज्य सरकार के विभाग और उनके संबद्ध निकाय;
(iii) डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त एसआईआरओ सहित राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान और संगठनऔर डीएसआईआर के साथ पंजीकृत पीएफआरआई;
(iv) यूजीसी/एआईसीटीई के वेबसाइट में सूचीबद्धमानिता प्राप्त विश्वविद्यालय और कॉलेज;
(v) एक विशिष्ट कानूनी इकाई वाले संस्थान (जीएफआर 2017 के नियम 228 के अनुसार)।

5.डीएसआईआर सहायता व्यय की निम्नलिखित मदों के लिए होगी:
(i) जनशक्ति
(ii) नेटवर्किंग, सर्वेक्षण, हितधारक बैठकों, विशेषज्ञों, संसाधन व्यक्तियों, आदि के लिए यात्रा;
(एक परियोजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति नहीं है।)
(iii) विशेषज्ञों और संसाधन व्यक्तियों के लिए परामर्श शुल्क।
(iv) आकस्मिकताएं और उपभोग्य वस्तुएं (उपभोग्य सामग्रियों में अध्ययन के लिए आवश्यक और टीएसी द्वारा अनुमोदित अनुसंधान उपकरण शामिल हो सकते हैं);
(v) ओवरहेड शुल्क 15% निर्धारित किया गया है ।
(vi) टीएसी के सिफारिश द्वारा और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन से कोई अन्य मद ।

डीएसआईआर छात्रवृत्ती दरों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने के संबंध में भी जनशक्ति व्यय में नियत रहेगा। कृपया ध्यान दें, सामान्य उद्देश्य हेतु ढांचागत सुविधाओं की स्थापना के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

6.हितधारक को स्पष्ट रूप से आउटपुट, परिणाम और लाभ बताने का प्रस्ताव; आवेदन पत्र में पीआई और सीओपीआई का संक्षिप्त विवरण शामिल होना चाहिए।

7. प्रस्तावों की प्रत्येक कॉल के लिए, प्रत्येक आवेदक संगठन से केवल एक प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी एक एजेंसी के दो से अधिक प्रस्तावों का समर्थन नहीं किया जाएगा।

8.एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि में विचलन के बिना अनुमोदित शीर्ष के अनुसार निधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। व्यय नहीं की गई धनराशि को डीएसआईआर, भारत सरकार को वापस कर दी जाएगी।

9. यदि व्यय की गई धनराशि उपलब्ध धनराशि से अधिक हो जाता है तो उसका वहन संगठन द्वारा किया जाएगा और डीएसआईआर से कोई और सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

10. डीएसआईआर द्वारा गठित एक परियोजना समीक्षा समिति (पीआरसी) द्वारा समय-समय पर अध्ययन की निगरानी और मूल्यांकन किया जाएगा। अनुदानग्राही संगठन पीआरसी बैठक के दौरान डीएसआईआर को मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। समिति द्वारा दिये गए सुझावों और टिप्पणियों को रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए और एक महीने के अंदर संशोधित मसौदा रिपोर्ट, डीएसआईआर को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

11.डीएसआईआर किसी भी स्तर पर परियोजना के सहयोग को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यह आश्वस्त है कि अनुदान का ठीक से उपयोग नहीं किया जा रहा है अथवा परियोजना कार्य में उचित प्रगति नहीं हो रही है। इसके अलावा प्रसंस्करण के किसी भी स्तर पर पीआई/संगठन संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के अभाव में परियोजना को समाप्त किया जा सकता है।